



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 / 04 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-336/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 18-08-2025 to 27-08-2025 with permission to prefix Gazetted holidays and
112—राजपत्र / 2025—26—08—2025 (4997)

Sunday falling *w.e.f.* 15-08-2025 to 17-08-2025 in favour of Sh. Anish Kumar, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-I, Rohru, H.P.

Certified that Sh. Anish Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Anish Kumar would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-I, Rohru, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th August, 2025

No. HHC/Estt.3(532)/2002-I.—02 days earned leave for 04-08-2025 and 05-08-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Subhash Kumar Baudh, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Subhash Kumar Baudh has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Kumar Baudh would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-396/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave *w.e.f.* 18-08-2025 to 23-08-2025 with permission to prefix Gazetted holiday and Sunday falling on 16-08-2025 and 17-08-2025 and to suffix Sunday falling on 24-08-2025 in favour of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa.

Certified that Sh. Sumit Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sumit Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Tissa, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th August, 2025

No. HHC/Estt. 3(582)/2007.—06 days earned leave on and *w.e.f.* 18-08-2025 to 23-08-2025 with permission to suffix Sunday falling on 24-08-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Rajeev Kumar, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajeev Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajeev Kumar would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

गीता देवी पुत्री श्री कांशी राम, निवासी गांव खुंडगल, डाकघर तन्बौल, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया गीता देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम

पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	गीता देवी	पुत्री श्री कांशी राम	01-07-1948

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 11-09-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(धर्मपाल, हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री बलविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री छंगा राम, निवासी गांव लोहर द्रमण, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम बलविन्द्र कुमार है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से बलविन्द्र दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-09-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राज कुमारी पुत्री स्व० श्री रिझो पत्नी श्री मनजीत कुमार, निवासी गांव अलेड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण ।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे ।

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती राज कुमारी पुत्री स्व० श्री रिझो पत्नी श्री मनजीत कुमार, निवासी गांव अलेड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राज कुमारी है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता, आधार कार्ड व पैन कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कैहलू व नैनीखड जरेई, पटवार वृत्त नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से चमारी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे ।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 6-09-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 05-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि० प्र०)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

भान सिंह पुत्र श्री चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव लगा, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि०प्र०) ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा ।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना० चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3005/2025, दिनांक 31-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-12257, दिनांक 31-05-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी भान सिंह पुत्र श्री

चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव लगगा, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 10-11-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भान सिंह पुत्र श्री चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव लगगा, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 10-11-1978 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 10-11-1978 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

मीना कुमारी पुत्री श्री छनू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डाकघर पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलूहीं, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2308/2025, दिनांक 24-06-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-8505, दिनांक 21-04-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया मीना कुमारी पुत्री श्री छनू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डाकघर पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 27-06-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पलूहीं के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पलूहीं के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मीना कुमारी पुत्री श्री छनू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डाकघर पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 27-06-1982 को ग्राम पंचायत पलूहीं के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के

भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-06-1982 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

रजिन्दर पुत्र श्री अमरो, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2300/2025, दिनांक 26-04-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-8665, दिनांक 23-04-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी रजिन्दर पुत्र श्री अमरो, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 20-04-1991 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रजिन्दर पुत्र श्री अमरो, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 20-04-1991 को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 20-04-1991 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

गितो पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव सोन, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रठियार, विकास खण्ड मैहला

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3181/2025, दिनांक 10-06-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-12554, दिनांक 04-06-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया गितो पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव सोन, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रठियार के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रठियार के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया गितो पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव सोन, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत रठियार के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1964 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

चमन सिंह पुत्र श्री रघू, निवासी मुहल्ला/गांव अघरूई, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला।

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2750/2025, दिनांक 19-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-11245, दिनांक 15-05-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी चमन सिंह पुत्र श्री रघू, निवासी मुहल्ला/गांव अधरुई, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 15-10-1968 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चमन सिंह पुत्र श्री रघू, निवासी मुहल्ला/गांव अधरुई, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 15-10-1968 को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-10-1968 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

शिखा देवी पुत्री श्री सतनो उर्फ सत्या प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथां, विकास खण्ड चम्बा

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3428/2025, दिनांक 23-06-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-11248, दिनांक 15-05-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया शिखा देवी पुत्री श्री सतनो उर्फ सत्या प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

में उसकी जन्म तिथि 04-10-1991 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शिखा देवी पुत्री श्री सतनो उर्फ सत्या प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 04-10-1991 को ग्राम पंचायत प्रौथां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-10-1991 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव गलछ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 527/2025, दिनांक 30-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2842, दिनांक 30-01-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव गलछ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 11-05-2016 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव गलछ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 11-05-2016 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित

अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 11-05-2016 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील / रीडर / 2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

कमला देवी पुत्री श्री साहवणु, निवासी मुहल्ला / गांव गागला, डाकघर मैहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गगला, विकास खण्ड मैहला

विषय.— जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6716 / 2024, दिनांक 26-12-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22664, दिनांक 10-12-2024 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया कमला देवी पुत्री श्री साहवणु, निवासी मुहल्ला / गांव गागला, डाकघर मैहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 15-03-1961 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गागला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गागला के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कमला देवी पुत्री श्री साहवणु, निवासी मुहल्ला / गांव गागला, डाकघर मैहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 15-03-1961 को ग्राम पंचायत गागला के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-03-1961 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

रवि कुमार पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 486/25, दिनांक 28-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2024-762, दिनांक 10-01-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी रवि कुमार पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 13-01-1993 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रवि कुमार पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 13-01-1993 को ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 13-01-1993 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

गौतम सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव जंजला, डाकघर भडियां, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 563/2024, दिनांक 03-02-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2841, दिनांक 30-01-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थी श्री कर्ण सिंह, पुत्र मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव जंजला, डाकघर भडियां, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 19-02-2023 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत करियां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करियां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी र गौतम सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव जंजला, डाकघर भडियां, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) में उसकी जन्म तिथि 19-02-2023 को ग्राम पंचायत करियां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असातन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 19-02-2023 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2025

तारीख पेशी : 12-09-2025

विमलो पुत्री श्री हरि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव भलौठ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.— जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1350/2025, दिनांक 07-03-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4739, दिनांक 27-02-2025 शपथ-पत्र अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया विमलो पुत्री श्री

हरि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव भलौठ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 06-04-1997 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया विमलो पुत्री श्री हरि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव भलौठ, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 06-04-1997 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 06-04-1997 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Vijay Kumar age 36 years s/o Sh. Ranjeet, r/o Village Baroh, P.O. Mair, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Vijay Kumari Dogra age 34 years d/o Sh. Jai Ram Dogra, r/o Village Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— *Notice of Marriage.*

Mr. Vijay Kumar & Ms. Vijay Kumari Dogra have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 24-07-2025 as per Hindu rites and customs at Shri Jagteshwar Nath Mandir, Village & Post Office Mehre, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding their this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. In case no objection is received by 06-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-08-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Pankaj age 22 years s/o Sh. Shushil Kumar, r/o Village Balh Nalocha, P.O. Loharli, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Sushma Devi age 25 years d/o Sh. Amin Chand, r/o Village Balh Sinha, P.O. Ghandir, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— *Notice of Marriage.*

Mr. Pankaj & Ms. Sushma Devi have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 30-07-2025 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Village Tikker Rajputtan, Post Office Bumbloo, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. In case no objection is received by 06-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-08-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Amit Kumar age 27 years s/o Sh. Ram Pal, r/o Village & P.O. Chakmoh, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Taniya Dogra age 21 years d/o Sh. Hari Singh, r/o Village Kopra Upreed, P.O. Kopra Khas, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— *Notice of Marriage.*

Mr. Amit Kumar & Ms. Taniya Dogra have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 11-08-2025 as per Hindu rites and customs at Sen Bhagat Mandir, Mehre, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 15-09-2025. In case no objection is received by 15-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 13-08-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Sunil Kumar age 37 years s/o Sh. Inder Singh, r/o Village Jamli, P.O. Lafran, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Banita Kumari age 33 years d/o Sh. Bhumi Chand, r/o Village Kannar, P.O. Kathiana, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— *Notice of Marriage.*

Mr. Sunil Kumar & Ms. Banita Kumari have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 23-07-2025 as per Hindu rites and customs at Shiv Mandir, Gharyani, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. In case no objection is received by 06-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-08-2025.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Vishal Kumar age 28 years s/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Kalwal, P.O. Loharli, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Garima Soni age 19 years d/o Sh. Naveen Kumar, r/o Village & P.O. Chakmoh, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Vishal Kumar & Ms. Garima Soni have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 22-10-2024 as per Hindu rites and customs at Shree Nar Singh Mandir Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. In case no objection is received by 06-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-08-2025.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 15/Corr./T/U/2025	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 05-08-2025	तारीख पेशी 05-09-2025
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

श्री मनोहर लाल पुत्र स्व0 जगननाथ, वासी वार्ड नं0 1, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्ट्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मनोहर लाल पुत्र स्व0 जगननाथ, वासी वार्ड नं0 1, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम जगत सिंह पुत्र गोविन्द राम राजस्व अभिलेख मोहाल/उप—महाल वैहली में दर्ज है, जबकि उसके पिता का सही नाम जगननाथ है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके पिता का नाम जगत सिंह उर्फ जगननाथ किया जाए। प्रार्थी द्वारा दिए गए शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात व हल्का पटवारी रिपोर्ट मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्ट्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 05-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 : 29/B & D/T/U/2025	किस्म मुकद्दमा: जन्म पंजीकरण	तारीख दायर: 04-08-2025	तारीख पेशी: 08-09-2025
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

1. श्री रणजीत सिंह पुत्र सुदल सिंह, वासी वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत भेलवा, डाकघर थाना हरीनमार, भैरीयापुर मुंगैर बिहार-811121 हाल वासी वार्ड नं0 03, मौहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिये जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण सलोनी जन्म तिथि 23-04-2023 पुत्री रणजीत सिंह व सविता देवी . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्ट्री मुनादी व चस्पांगी।

विषय.—श्री रणजीत सिंह पुत्र सुदल सिंह, वासी वार्ड नं० 1, ग्राम पंचायत भेलवा, डाकघर थाना हरीनमार, भैरीयापुर मुंगैर बिहार-811121 हाल वासी वार्ड नं० 03, मौहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिये जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण सलोनी जन्म तिथि 23-04-2023 पुत्री रणजीत सिंह व सविता देवी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र सुदल सिंह, वासी वार्ड नं० 1, ग्राम पंचायत भेलवा, डाकघर थाना हरीनमार, भैरीयापुर मुंगैर बिहार-811121 हाल वासी वार्ड नं० 03, मौहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिये जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण सलोनी जन्म तिथि 23-04-2023 पुत्री रणजीत सिंह व सविता देवी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री का जन्म तिथि 23-04-2023 को ग्राम पंचायत रामपुर में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम०सी० के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 08-09-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असातन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत रामपुर को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
30/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	06-08-2025	06-09-2025

1. श्री संजय कुमार पुत्र दिलवाग सिंह, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० व प्रिती सैणी हाल पत्नी संजय कुमार पुत्री रामेश्वर सैणी, वासी सरसेहडी, तहसील अम्बाला कैट व जिला अम्बाला, हरियाणा।

बनाम

आम जनता

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना—पत्र.—शादी पंजीकरण श्री संजय कुमार पुत्र दिलवाग सिंह, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० व प्रिती सैणी हाल पत्नी संजय कुमार पुत्री रामेश्वर सैणी, वासी सरसेहडी, तहसील अम्बाला कैट व जिला अम्बाला, हरियाणा बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनकी शादी सिख रीति के अनुसार दिनांक 12-07-2024 को प्रिती सैणी हाल पत्नी संजय कुमार पुत्री रामेश्वर सैणी, वासी सरसेहडी, तहसील अम्बाला कैट व जिला अम्बाला, हरियाणा से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के

कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 06-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं० :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
31/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	12-08-2025	15-09-2025

1. श्री राम कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व तृप्ता देवी हाल पत्नी राम कुमार पुत्री देस राज, वासी समूर खुर्द, तहसील बगाणा व जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र.—शादी पंजीकरण श्री राम कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व तृप्ता देवी हाल पत्नी राम कुमार पुत्री देस राज, वासी समूर खुर्द, तहसील बगाणा व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 12-12-2010 को व तृप्ता देवी हाल पत्नी राम कुमार पुत्री देस राज, वासी समूर खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 15-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा

कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Krishan Gopal aged 24 years s/o Sh. Gurdev Singh, r/o Village Majher, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Pooja Devi aged 19 years d/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Randala, P.O. Lunas, Teshil Nalagarh, District Solan (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Krishan Gopal s/o Sh. Gurdev Singh, r/o Village Majher, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Pooja Devi d/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Randala, P.O. Lunas, Teshil Nalagarh, District Solan (H.P.) through Counsel Sh. Nand Lal have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within three month of calendar.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-09-2025. The objection received after 25-09-2025 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8th August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Abhishek aged 21 years s/o Sh. Som Nath, r/o Village & P.O. Jasana, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Pooja Devi aged 19 years d/o Sh. Nek Chand, r/o Village Kaila, P.O. Balohad, Teshil Dharwala, District Chamba (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Abhishek s/o Sh. Som Nath, r/o Village & P.O. Jasana aniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P. and Pooja Devi d/o Sh. Nek Chand, r/o Village Kaila, P.O. Balohad, Teshil Dharwala, District Chamba (H.P.) through Counsel Sh. Arun Kumar have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they have intend to solemnize their marriage within three month of calendar.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-09-2025. The objection received after 20-09-2025 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 6th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Mukesh Kumar age 37 years s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Soni Kumari age 21 years d/o Pintoo Shah, r/o Street No. 2/3, Surjeet Singh Nagar, Giaspura Lohra Ludhiana (Pb.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Soni Kumari d/o Pintoo Shah, r/o Street No. 2/3, Surjeet Singh Nagar, Giaspura Lohra Ludhiana (Pb.) at present wife of Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special

Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-10-2023 at r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then.

Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 01/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 08-09-2025

1. पुन्या देवी पुत्री गगन सिंह, गांव चम्बी, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पत्नी स्व० श्री जगत राम पुत्र राजमल, गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थिया पुन्या देवी पुत्री गगन सिंह, गांव चम्बी, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 11-02-1972 को श्री जगत राम पुत्र राजमल गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत संघोल में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 08-09-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव संघोल को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Pankaj Choudhary s/o Sh. Madan Lal, r/o Ward No. 9 behind Prakash Hotel Aleo, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

2. Sapna Thapa d/o Sh. Bir Singh Thapa, r/o VPO Bajaura, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Notice under Special Marriage Act.

Pankaj Choudhary s/o Sh. Madan Lal, r/o Ward No. 9 behind Prakash Hotel Aleo, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Ms. Sapna Thapa d/o Sh. Bir Singh Thapa, r/o VPO Bajaura, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 16-07-2025 and requested to register the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 16th July, 2025.

Seal.

Sd/-
(RAMAN KUMAR SHARMA),
Marriage Officer-cum-SDM,
Manali, District Kullu (H.P.).

**In the Court of Sh. Nishant Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Naman Chaudhary s/o Sh. Pradeep Chaudhary, r/o Village Jarad Bhutti Colony, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) . . Applicants.

2. Hinayat Sawhney d/o Sh. Harish Sawhney, r/o House No. 94, Ajit Nagar Part-I Patiala, Punjab at present r/o Village Jarad Bhutti Colony, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Naman Chaudhary and Hinayat Sawhney have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-05-2022 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-08-2025. The objection received after 30-08-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(NISHANT KUMAR, HAS)

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेनू ठाकुर पत्नी श्री बलबीर सिंह ठाकुर, निवासी दमसेहडा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी,
हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रेनू ठाकुर है, जोकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दमसेहडा व सिम्बल कोठी में गलती से उसका नाम रेनू देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-09-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री राजीव कुमार सुपुत्र श्री भाग सिंह, निवासी सरौन, डाकघर चोलथरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजीव कुमार है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत सरौन के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सरौन में गलती से उसका नाम राज कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-09-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री दिपेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी मस्ध्वान, डाकघर ब्राड़ता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दिपेन्द्र सिंह है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत चौक के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मस्ध्वान में गलती से उसका नाम दिवेंद्र सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-09-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कुशम लता सुपुत्री श्रीमती कृष्णी देवी, निवासी हरलोट, डाकघर बसन्तपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कुशम लता है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत पपलोग के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल हरलोट में गलती से उसका नाम बबली दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-09-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Surjeet Singh, HAS, Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate, Padhar,
District Mandi (H.P.)**

File No. 47/2025

Instt. on : 06-08-2025

Next date of hearing : 11-09-2025

In the matter of :

1. Rakesh Kumar s/o Achhar Singh, Village Hiun, P.O. Urla, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Priti Shrivastav d/o Ramesh Shrivastav, Village Newada, Tekki Patti, Development Block P. S. Kotwali Baghray, Teshil Kunda Janpad Pratap Gad, Uttar Pradesh

.Petitioner/Applicants

Versus

General Public

Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, Rakesh Kumar s/o Achhar Singh, Village Hiun, P.O. Urla, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) and Priti Shrivastav d/o Ramesh Shrivastav, Village Newada, Tekki Patti, Development Block P. S. Kotwali Baghray, Teshil Kunda Janpad Pratap Gad, Uttar Pradesh both the petitioners have presented an application for the registration of Marriage under section 15, Chapter-III of the Special Marriage Registration Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 19-02-2024. Both of them alleged to not having any living spouse at the time of marriage none of them is idiot or a lunatic and both of them are adult and not fall degree of prohibited relationship and both of them are resident with local jurisdiction of Sub-Division Padhar and since then living as husband & wife.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above Marriage they can appear & file objection in this court on or before 11-09-2025 at 10.00 A.M. personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under the act ibid accordingly.

Given under my hand and seal of this court 06-08-2025.

Seal.

Sd/-

(SURJEET SINGH, HAS)

*Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Padhar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Prarit Patyal s/o Sh. Sanjay Patyal, r/o H. No. 111/2/2, Purani Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Reena Sharma d/o Late Sh. Puran Chand, Village Thogi, P.O. & Tehsil Anni, Distt. Kullu (H.P.) Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Prarit Patyal s/o Sh. Sanjay Patyal, r/o H. No. 111/2/2, Purani Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) and Smt. Reena Sharma d/o Late Sh. Puran Chand, Village Thogi, P.O. & Tehsil Anni, Distt. Kullu (H.P.) (at present wife Sh. Prarit Patyal s/o Sh. Sanjay Patyal, r/o H. No. 111/2/2, Purani Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, (H.P.) have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-10-2024 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-09-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 12th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 14

दिनांक : 05-08-2025

श्रीमती स्वारी देवी पुत्री चतर सिंह, गांव ठाह, डाकघर बथेरी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती स्वारी देवी पुत्री चतर सिंह, गांव ठाह, डाकघर बथेरी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती स्वारी देवी का जन्म दिनांक 01-01-1971 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत टिक्कर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत टिक्कर को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 16

दिनांक : 05-08-2025

श्रीमती तृप्ता पुत्री टेक चंद, गांव रडाहन, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तृप्ता पुत्री टेक चंद, गांव रडाहन, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती तृप्ता का जन्म दिनांक 22-07-1978 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत उरला को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 15

दिनांक : 05-08-2025

श्री चेत राम पुत्र रंचू गांव व डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी

प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चेत राम पुत्र रंचू गांव व डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी चेत राम का जन्म दिनांक 03-11-1962 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत पाली को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Devi Chand Thakur, HPAS, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla H.P.**

1. Sh. Sahib Singh Virdi aged about 30 years s/o Sh. Gurmukh Singh, r/o Shiv Niwas Comley Bank Estate, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Sanjna aged about 23 years, d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Jhonowal, Post Office Garhi Mansowal, Binewal, Hoshiarpur, Punjab-144 523.

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sahib Singh Virdi aged about 30 years s/o Sh. Gurmukh Singh, r/o Shiv Niwas Comley Bank Estate, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Sanjna aged about 23 years d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Jhonowal, Post Office Garhi Mansowal, Binewal,

Hoshiarpur, Punjab-144 523 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 13-04-2024 and are living together as huaband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act. 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before this court of undersigned on or before 20-09-2025. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 19th August, 2025.

Seal.

Sd/-

*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban) (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री अरुण कुमार सरन पुत्र श्री राम सरन, निवासी मिग-20, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी श्री अरुण कुमार सरन पुत्र श्री राम सरन, निवासी मिग-20, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5550, दिनांक 31-07-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, नगर परिषद् नाहन की रिपोर्ट, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, रिपोर्ट आशा वर्कर, आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनकी पुत्री मोशिका की जन्म तिथि 11-05-2022 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगर पालिका परिषद् नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी पुत्री मोशिका की जन्म तिथि नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री अरुण कुमार सरन पुत्र श्री राम सरन एवं श्रीमती संगीता सरन की पुत्री मोशिका की जन्म तिथि नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 12-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती आईशा पुत्री श्री मोहम्मद ईकराम, निवासी मकान नम्बर 3710/12, मोहल्ला चीड़ावाली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी श्रीमती आईशा पुत्री श्री मोहम्मद ईकराम, निवासी मकान नम्बर 3710/12, मोहल्ला चीड़ावाली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-4852, दिनांक 16-07-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 21-01-1992 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती आईशा पुत्री श्री मोहम्मद ईकराम एवं श्रीमती शहनाज बानो की जन्म तिथि 21-01-1992 नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 12-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब-तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती जैनब पत्नी श्री मोहम्मद जुबेर, निवासी गांव आंवलीवाला कोटड़ी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी श्रीमती जैनब पत्नी श्री मोहम्मद जुबेर, निवासी गांव आंवलीवाला कोटड़ी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-154, दिनांक 03-04-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनकी पुत्री मेहर की जन्म तिथि 12-08-2020 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी पुत्री मेहर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती जैनब पत्नी श्री मोहम्मद जुबेर की पुत्री मेहर की जन्म तिथि 12-08-2020 ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 13-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री हितेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गवाही, डाकघर कुफर कायरा, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थी पत्र श्री हितेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गवाही, डाकघर कुफर कायरा, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख वाका मौजा गवाही में अपना नाम रणदीप सिंह के स्थान पर हितेन्द्र सिंह दुरुस्त करवाने बारे आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। उसके बाकी सभी दस्तावेज में उसका नाम हितेन्द्र सिंह दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख वाका मौजा गवाही में उसका नाम रणदीप सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम हितेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-09-2025 से पूर्व किसी भी कार्य

दिवस में इस अदालत में उपस्थित आकर अपना लिखित एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर वादी का सही नाम "श्री हितेन्द्र सिंह पुत्र तुलसी राम" दर्ज कर दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 12-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 5/CN/2025

तारीख मजरुआ : 13-06-2025

तारीख पेशी : 16-09-2025

प्रार्थी श्री हरी राम पुत्र चान्दनु, निवासी गांव चुडलिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम
आम जनता

दरखास्त बरुये जाति दुरुस्ती मौजा धार टारन, तहसील ददाहू।

प्रार्थी/वादी श्री हरी राम पुत्र चान्दनु, निवासी गांव चुडलिया, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि उसकी जाति चमार गोत बडगुज्जर है। लेकिन मौजा धार टारन, पटवार वृत्त खाला क्यार में इसकी जाति दर्ज नहीं है। दावा किया गया है कि प्रार्थी श्री हरी राम की सही जाति चमार गोत बडगुज्जर है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने ग्रामीण राजस्व अधिकारी राजपुर धनाली, तहसील पांवटा सहिब द्वारा रिपोर्ट संलग्न की है जिसमें प्रार्थी की जाति चमार गोत बडगुज्जर रिपोर्ट हुई है। जिसे नियमानुसार राजस्व विभाग मौजा धार टारन, पटवार वृत्त खाला क्यार में दुरुस्त किया जाना उचित व आवश्यक है।

सेहत नाम के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 16-09-2025 को सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(सुरेश कुमार),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 16/2025

तारीख पेशी : 24-09-2025

श्री पारस पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत गनोग, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री पारस पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत गनोग, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 20-03-2004 है, जो ग्राम पंचायत गनोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 20-03-2004 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(नवीन कुमार),

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती तुलसा देवी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु, गांव मागनल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त मिला के मौजा मागनल के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्रीमती तुलसा देवी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु, गांव मागनल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका सही नाम तुलसा देवी विधवा स्यालू पुत्र शंकरु है जबकि मौजा मागनल, पटवार वृत्त मिला, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम गुलाबी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थिया दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम मौजा मागनल, पटवार वृत्त मिला, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में श्रीमती गुलाबी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु के स्थान पर श्रीमती तुलसा देवी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00

बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई में गुलाबी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु के स्थान पर श्रीमती तुलसा देवी विधवा श्री स्यालू पुत्र शंकरु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री ग्यारूराम पुत्र श्री मोहीराम, गांव चमया (मानल), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा गंगटोली के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री ग्यारूराम पुत्र श्री मोहीराम, गांव चमया (मानल), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम ग्यारूराम पुत्र श्री मोहीराम है जबकि मौजा गंगटोली, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम केदार सिंह पुत्र श्री मोहीराम दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा गंगटोली, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में केदार सिंह पुत्र श्री मोहीराम के स्थान पर श्री ग्यारूराम पुत्र श्री मोहीराम दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा गंगटोली, पटवार वृत्त बान्दली, तहसील शिलाई में केदार सिंह पुत्र श्री मोहीराम के स्थान पर ग्यारूराम पुत्र श्री मोहीराम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह, गांव बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा गंगटोली के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री ग्यारुराम पुत्र श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह, गांव बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम विनोद कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह है जबकि मौजा बाली कोटी, पटवार वृत्त बाली कोटी, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम विरेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा बाली कोटी, पटवार वृत्त बाली कोटी, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में विरेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह के स्थान पर श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा बाली कोटी, पटवार वृत्त बान्दली, तहसील शिलाई में विरेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह के स्थान पर श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू, गांव जटलाहड, डाकघर फकलोह, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त बाली-कोटी के मौजा चामडा-मोहराड के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू गांव जटलाहड, डाकघर फकलोह, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम जगदीश सिंह पुत्र श्री मीन सिंह है जबकि मौजा चामडा-मोहराड, पटवार वृत्त बाली कोटी, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जोगीया पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र शिबू दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा चामडा-मोहराड, पटवार वृत्त बाली कोटी, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में जोगीया पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू के स्थान पर श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा चामडा-मोहराड, पटवार वृत्त बान्दली, तहसील शिलाई में जोगीया पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू के स्थान पर श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मीन सिंह पुत्र श्री शिबू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बुधवा, गांव सियारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गंगटौली के मौजा अश्याडी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बुधवा, गांव सियारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम कल्याण सिंह पुत्र श्री बुधवा है जबकि मौजा अश्याडी, पटवार वृत्त गंगटौली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम कल्याण पुत्र श्री बुधवा दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा अश्याडी, पटवार वृत्त गंगटौली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में कल्याण पुत्र श्री बुधवा के स्थान पर श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बुधवा दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा अश्याडी, पटवार वृत्त गंगटौली, तहसील शिलाई में कल्याण पुत्र श्री बुधवा के स्थान पर श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बुधवा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री लायकराम पुत्र स्व0 श्री जमिया, गांव गवाली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गवाली के मौजा मानल व गवाली-पशमी के राजस्व रिकार्ड में नाम की
दुरुस्ती बारे।

श्री लायकराम पुत्र स्व0 श्री जमिया, गांव गवाली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस
अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उनके पिता जी का सही नाम लायक राम
पुत्र स्व0 श्री जमिया पुत्र सबला है जबकि मौजा मानल व गवाली-पशमी पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई
के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मेहर सिंह पुत्र श्री सबला दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी
दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम
मौजा मानल व गवाली-पशमी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में मेहर सिंह पुत्र
श्री सबला के स्थान पर स्व0 श्री जमिया पुत्र श्री सबला दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो
वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-09-2025 सायं 5.00 बजे तक या
इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा
मानल व गवाली-पशमी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई में मेहर सिंह पुत्र श्री सबला के स्थान पर
जमिया पुत्र स्व0 श्री सबला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan, H.P.

Mr. Krishan Singh s/o Sh. Bali Ram aged about 75 years, r/o Village Mauri, P.O. Rauri, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

Versus

General Public

Public Notice for Name Correction.

Whereas, an application has been received from Mr. Krishan Singh s/o Sh. Bali Ram aged about 75 years, r/o Village Mauri, P.O. Rauri, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. through his Advocate R.K. Verma, for correction of the name of his daughter in official/revenue records.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection to the proposed correction of name from "Kamla Devi" to "Kavita Chauhan" such objection may be submitted in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice.

If no objections are received within the stipulated period, the necessary correction shall be carried out in the concerned records as per law.

Issued under my hand and seal on this 13th day of August, 2025.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Siddharth Sharma son of Mr. Ramesh Sharma, resident of House No. 299/11, Rajgarh Road Solan, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Puneet Kaur wife of Mr. Siddharth Sharma and daughter of Mr. Harpal Singh, r/o #3141, LIG Flats, Sector-71, SAS nagar Mohali, Punjab, presently residing at House No. 299/11, Rajgarh Road Solan, Tehsil and District Solan, H.P. have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 24-11-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Siddharth Sharma and Mrs. Puneet Kaur were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Siddharth Sharma and Mrs. Puneet Kaur they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this Court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 13th day of August, 2025.

Seal.

Sd/-
Dr. POONAM, HPAS,
*Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Beena Kumari w/o Sh. Gian Chand, r/o VPO Seoh, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.)-175051 declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Veena Devi which should be corrected as Beena Kumari. Please correct this.

BEENA KUMARI
w/o Sh. Gian Chand,
r/o VPO Seoh, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Judhiya Devi w/o Late Sh. Jagan Nath, r/o Village Chhanjiar, P.O. Dadhol, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 3965 0514 1763, my name is wrongly entered as Ajudhaya Devi which should be corrected as Judhiya Devi. Please correct this.

JUDHIYA DEVI
w/o Late Sh. Jagan Nath,
r/o Village Chhanjiar, P.O. Dadhol,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Resho Devi w/o Sh. Rajeev Kumar, r/o Village Dahal, P.O. Rail, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that Resho Devi and Reshma Devi is one and same person. Concerned note.

RESHO DEVI
w/o Sh. Rajeev Kumar,
r/o Village Dahal, P.O. Rail,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hanish Kumar s/o Sh. Bhagwan Singh, r/o V.P.O. Deol, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.) have changed my name from Hanish Kumar to Hanish Singh for all purposes. All concerned please may note.

HANISH KUMAR
s/o Sh. Bhagwan Singh,
r/o V.P.O. Deol,
Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sumitra Devi w/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Dol, P.O. Gopalpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 7610 6752 4349 my name wrongly entered as Savitri Devi which should be corrected as Sumitra Devi. Please correct this.

SUMITRA DEVI
w/o Sh. Nanak Chand,
r/o Village Dol, P.O. Gopalpur,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manish Kumar s/o Sh. Bhagwan Singh, r/o V.P.O. Deol, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.) have changed my name from Manish Kumar to Manish Kumar Singh for all purposes. All concerned please may note.

MANISH KUMAR
s/o Sh. Bhagwan Singh,
r/o V.P.O. Deol,
Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kubja Thakur wd/o Late Sh. Bhup Singh, r/o Village Patyani, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Kubja to Kubja Thakur and the correct spelling of my husband's name is Bhup Singh.

KUBJA THAKUR
wd/o Late Sh. Bhup Singh,
r/o Village Patyani, P.O. Brikhmani,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Monika w/o Sh. Dhiraj Koandal, r/o Village Lambloo, P.O. Lambloo, Sub-Tehsil Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Dhairyavansh Kaundal to Dhairyavansh Singh for all purposes in future. Please note.

MONIKA
w/o Sh. Dhiraj Koandal,
r/o Village Lambloo, P.O. Lambloo,
Sub-Tehsil Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Yash Paul Singh s/o Sh. Dev Prakash, r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli Bharan, Tehsil Rajgarh, District Sirmour (H.P.) hereby declare that in my son Aditya Sharma's school records, birth certificate and Aadhar card, my name has been wrongly entered as Yash Pal Sharma. The correct name is Yash Paul Singh.

YASH PAUL SINGH
s/o Sh. Dev Prakash,
r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli Bharan,
Tehsil Rajgarh, District Sirmour (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajkumari Kasturi Kaur d/o Rajkumar Jaspal Singh Bedi, r/o Room No. 19, 2nd Floor Sangat Building Akal Academy, V.P.O. Baru Sahib, Sub-Tehsil Nagar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.)-173 101 declare that in my Aadhar my name is wrongly entered as Rajvinder Kaur d/o Rajnpreet Singh which should be corrected as Rajkumari Kasturi Kaur d/o Rajkumar Jaspal Singh Bedi. Please correct this.

RAJKUMARI KASTURI KAUR
*d/o Rajkumar Jaspal Singh Bedi,
r/o Room No. 19, 2nd Floor,
Sangat Building Akal Academy,
V.P.O. Baru Sahib, Sub-Tehsil Nagar,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.)-173 101.*

CORRECTION OF NAME

I, Simple Kumari w/o Sh. Yash Paul Singh, r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli-Bharan, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) do hereby declare that in my son Aditya Sharma's school records, Birth Certificate and Aadhar Card my name has been incorrectly entered as Simple Sharma, whereas the correct name is Simple Kumari.

SIMPLE KUMARI
*w/o Sh. Yash Paul Singh,
r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli-Bharan,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Simple Kumari w/o Sh. Yash Paul Singh, r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli-Bharan, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) do hereby declare that in my son Jatin Sharma's school records, Birth Certificate and Aadhar Card my name has been wrongly entered as Simple, whereas the correct name is Simple Kumari.

SIMPLE KUMARI
*w/o Sh. Yash Paul Singh,
r/o Village Chaloga Byas, P.O. Kathli-Bharan,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Mangla w/o Anil Kumar, r/o Village Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that my daughter Akshra Sharma has born on 29-10-2010 but her name mistakenly entered in Aadhar Card as Diakshu Sharma. I want to correct her name as Akshra Sharma. Note the related.

MANGLA
w/o Anil Kumar,
r/o Village Nabahi,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Radha Devi d/o Gobindu, Village & P.O. Jukhala, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 2864 5222 5721 & Pan Card my name is wrongly recorded as Rahla Devi. My correct name is Radha Devi. All concerned note.

RADHA DEVI
d/o Gobindu,
Village & P.O. Jukhala,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

निर्वाचन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171 009, 26 अगस्त, 2025

संख्या : 3-2/2023-ई.एल.एन.-881.—भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले निर्वाचन-2025 हेतु रिटर्निंग ऑफिसर (महासचिव राज्य सभा), संसद भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2025 को जारी की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र 5) को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

नंदिता गुप्ता,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और महासचिव,
राज्य सभा का कार्यालय

प्रपत्र 5

(राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 6 देखें)

भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.	श्री बुचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी	8-2-293 / 82 / एनएल, 12-ए, एमएलए एंड एमपी कॉलोनी, जुबली हिल्स रोड सं. 10सी, टीएसएसपी ग्रेटर हैदराबाद, तेलंगाना-500 033.
2.	श्री सी.पी. राधाकृष्णन	जल भूषण, राजभवन, वल्केश्वर रोड, मालाबार हिल, मुंबई-400 035

स्थान : नई दिल्ली,
दिनांक : 25 अगस्त, 2025

हस्ताक्षरित / —
(पी.सी. मोदी),
उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन
अधिकारी और महासचिव, राज्य सभा।

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2025
AND SECRETARY-GENERAL, RAJYA SABHA**

Form 5

(See rule 6 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974)

Election to the Office of Vice-President of India

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1.	Shri Buchireddy Sudershan Reddy	8-2-293/82/NL, 12-A, MLA and MP Colony, Jubilee Hills Road No. 10C, TSSP, Greater Hyderabad, Telangana-500 033.
2.	Shri C.P. Radhakrishnan	Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai-400 035.

Place : New Delhi
Date : 25th August, 2025

Sd/-
(P. C. MODY),
Returning Officer for the
Vice-Presidential Election, 2025
and Secretary-General, Rajya Sabha.

